म.प्र. राज्य विरूद्ध संदीप आदि।
आर.सी.टी.क्रमांक 534/2022

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक–44

14-09-2024

प्रकरण आज दिनांक 14.09.2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की इस खंडपीठ क्रमांक 44 के समक्ष पेश हुआ।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्तगण संदीप, कन्हैयालाल एवं रवि सहित श्री संजय ब्यास अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण उक्त राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु लोक अदालत में नियत हैं।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बाबत् आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में फरियादी/आहत इंद्रा सोनी एवं अभियुक्तगण संदीप, कन्हैयालाल एवं रवि के मध्य आपसी राजीनामा हो गया हैं। आहत ने बिना किसी भय, दबाव, डर एवं किसी प्रलोभन के बिना आरोपी से राजीनामा कर लिया है। आहत इंद्रा सोनी अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। अतः आहत इंद्रा सोनी एवं अभियुक्तगण संदीप, कन्हैयालाल एवं रवि का आपसी राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण में प्रकरण में आहत को राजीनामा करने बाबत् अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण संदीप, कन्हैयालाल एवं रवि के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294 एवं 506 भाग–दो के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। दंड विधि (संशोधन अधिनियम 2019) के द्वारा धारा 320 द.प्र.स को संशोधित कर भा.द.स. की धारा 294 को शमनीय अपराध की श्रेणी में जोडा गया है। भा.द.स. की धारा 294 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध जिस व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कारित किया गया है, के द्वारा न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है।

फरियादी/आहत इंद्रा सोनी से पूछे जाने पर स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय या दबाब के अपराध का शमन करना व्यक्त किया गया। फरियादी/आहत इंद्रा सोनी से पूछे जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किये जाने के संबंध में कथन किया गया। फरियादी/आहत इंद्रा सोनी की पहचान अधिवक्ता श्री संजय ब्यास द्वारा की गयी। फरियादी/आहत इंद्रा सोनी द्वारा स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया। अतः राजीनामा स्वेच्छया परिलक्षित होने से राजीनामा बाबत् अनुमति प्रदान करते हुये **अभियुक्तगण संदीप पुत्र लक्ष्मीनारायण, कन्हैयालाल उर्फ उत्तर पुत्र संदीप एवं रवि पुत्र मोहनलाल** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग–दो अंतर्गत दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण संदीप, कन्हैयालाल एवं रवि के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है। संदीप, कन्हैयालाल एवं रवि को स्वतंत्र छोडा जावे।

अभियुक्तगण का धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाणपत्र बनाकर

प्रकरण में संलग्न किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति निरंक है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में एवं सी.आई.एस. साफ्टवेयर में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार को प्रेषित किया जाये।

श्री दीपक लश्करी अधिवक्ता सदस्य	श्री भारतलाल चौधरी पी.एल.वी. सदस्य	(सुश्री चेतना दशोरा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पीठासीन अधिकारी नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक 44 महिदपुर, जिला–उज्जैन म.प्र.

CHETNA

Digitally signed by CHETNA

Date: 2024.09.14 15:00:35 +0530